न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला जयपुर

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
59/2017	7–4–2017	15–4–2019

रामनारायण पुत्र भोरिया जाति मीना, निवासी ग्राम नांगल गोगोरियान्, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान।

वादी

बनाम

1 सियाराम पुत्र कल्याण पौत्र नन्दा
2 ओमप्रकाश पुत्र कल्याण पौत्र नन्दा
3 सुरजन पुत्र कल्याण पौत्र नन्दा
समस्त जाति मीना, निवासी ग्राम नांगल गोगोरियान्, तहसील जमवारामगढ़ जिला जपुर राजस्थान।
4 राज0 सरकार जरिये उपतहसीलदार आंधी तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थिति अभिभाषक

श्री राजेश कुमार पारीक– वकील वादी

पैरोकार सरकार – प्रतिवादी संख्या 4

दावा बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय **दिनांक 15–4–2019**

प्ररकण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इन कथनों के साथ वाद पेश किया कि वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नं. 184 रकबा 0.13 हैक्टेयर, ग्राम नांगल गोगोरियान् पटवर हल्का लालवास उपतहसील आंधी में स्थित है जिसके रिकार्ड में राहिन नन्दा मुर्तहिन 30 वर्षो से अधिक समय से दर्ज चला आ रहा है वादी ने कभी नन्दा को उक्त भूमि रहन नहीं रखी थी गलती से रहन का इन्द्राज रिकार्ड में चला आ रहा है। वादी ने राजस्व कैम्प के तहत भी प्रार्थना पत्र पेश किया परन्तु सक्षम न्यायालय में इसकी घोषणा करवाने का निर्देश होने पर रहन को हटवाने हेतु यह वाद पेश किया गया है। नन्दा का देहान्त हो गया और उसके पुत्र कल्याण का देहान्त भी हो गया इसलिए नन्दा के विधिक वारीसान् का पक्षकार बनाया गया है रिकार्ड में आज भी नन्दा का नाम दर्ज है वाद पत्र में राहिन नन्दा पुत्र नैनच्छा मीना को मुर्तहिन के अंकन को हजफ किये जाने का अनुतोष चाहा गया ।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

वाद दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस द्वारा सूचना के उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 22–3–2019 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई एवं बहस एकतरफा सुनी गई ।

बहस में वकील वादी ने वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुये कहा कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 43 के अनुसार यदि कोई खातेदारी भूमि रहन रखी भी हो तो उसका उन्मोचन 5 वर्ष में स्वतः ही हो जाता है जबकि वादग्रस्त भूमि के रहन के अंकन को आज दिनांक तक नहीं हटाया गया है नन्दा को यदि रहन रखी भी हो तो कानूनी रूप से उसका उन्मोचन हो चुका है जिसके नाम को हजफ करने के लिए कम्प में प्रार्थना पत्र दिया गया परन्तु रहन के अंकन को नहीं हटाया गया। इसलिए वाद पेश करना आवश्यक हुआ। अतः वाद डिक्री किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, वाद पत्र का पठन किया प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया जिसके रिकार्ड से स्पष्ट है कि रहन का अंकन हुये 5 वर्ष से अधिक समय हो गया है और धारा 43 के प्रावधान स्पष्ट है कि 5 वर्ष से अधिक का रहन स्वतः ही उन्मोचित हो जाता है। इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 184 रकबा 0.13 हैक्टेयर स्थित ग्रात नांगल गोगोरियान्, पटवार हल्का लालवास उपतहसील आंधी तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर के रिकार्ड में राहिन नन्दा पुत्र नैनच्छा जाति मीना मुर्तहीन को हजफ किया जाने के आदेश दिये जाते है तथा उपतहसीलदार आंधी को उक्त रहन के इन्द्राज को हजफ करने के निर्देश दिये जाते है। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो एवं निर्णय तथा डिक्री की पालना हेतु उपतहसीलदार आंधी को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 15–4–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया, पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2020.02.24 13:29:40 IST
Reason: SelfAttested
Location: